

आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला
रायवाला कैन्ट, देहरादून पिन-249205
ARMY PUBLIC SCHOOL RAIWALA
Raiwala Cantt. Dehradun Pin- 249205
Email – apsraiwala@gmail.com, Website - www.apsraiwala.com
Mobile - 8449712023, CBSE Affiliation No-3580009

NO-APS/TF/2025-01

Dated: /02/2025

सेवा में
मैसर्स

विषय – विद्यालय में कैन्टीन चलाने हेतु निविदा के संबंध में।
महोदय

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला में पंजीकृत फर्मों से विद्यालय में स्थित कैन्टीन चलाने हेतु मोहरबन्द निविदायें आंमत्रित की जाती हैं।

बोली कीमत एवं नियम व शर्तेः-

- 1 आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला में स्थित कैन्टीन चलाने हेतु एक वर्ष पहले 06 माह पूर्ण होने पर कैन्टीन समिति द्वारा कार्य की समीक्षा की जायेगी यदि समीक्षा रिपोर्ट चलाने के प्रति उत्तम पायी जायेगी उसके आधार पर ही अगले 06 माह मे लिए सेवाएं बढ़ा दी जायेगी। अनुबन्ध का समय 01 वर्ष होगा परन्तु सेवाएं ठीक न पाये जाने पर 06 माह बाद भी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। बोलीदाता द्वारा विद्यालय की कैन्टीन का किराया जो कि संलग्न प्रपत्र में भरा जाना है अधिक से अधिक किराया देने वाले बोलीदाता से ही कैन्टीन चलाने हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।
- 2 विद्यालय में कैन्टीन चलाने हेतु विद्यालय में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें निर्धारित की गई हैं। बोलीदाता अनुबन्ध के दौरान निर्धारित दरों पर ही बस्तु बेचेगा। बोलीदाता बस्तुओं की दरों को ध्यान में रखकर किराया भरें क्योंकि अनुबन्ध के उपरान्त न तो किराया कम होगा न ही वस्तुओं की दरें बोलीदाता बढ़ा सकता है।
- 3 बोलीदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी। बोलीदाता द्वारा दरें केवल भारतीय मुद्रा (रूपये) में ही अंकित करनी होंगी।
- 4 एक बोलीदाता द्वारा केवल एक निविदा ही दी जायेगी टोलेक्स या नमूना निविदा स्वीकार नहीं है।
- 5 निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ बयाना राशि रूपये 2500/- का बैंक ड्राफ्ट/चैक जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6 बोलीदाता द्वारा अपने व्यवसाय के पंजीकरण खादय विभाग से लाईसेन्स सेवा कर आयकर पैन संख्या की छायापति संलग्न करनी आवश्यक है।
- 7 बोलीदाता द्वारा दी गई विद्यालय में दी जाने वाली सेवा विद्यालय पंहुच तक के समस्त खर्चों सहित होगा।
- 8 बोलीदाता को कैन्टीन का किराया वर्ष में 12 (गर्मियों की छुटियों को छोड़ कर) महीने का देना होगा।
- 9 कैन्टीन में 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को रखना वर्जित है। कैन्टीन ठेकेदार कोई बीमार व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करने हेतु नहीं रखेगा।
- 10 कैन्टीन मालिक कैन्टीन में रखे गये कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआई की देनदारी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

11 कैन्टीन चलाने हेतु अनुबन्ध पहले एक वर्ष के लिए किया जायेगा एवं समग्री व सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला के पास विकल्प होगा कि यह अनुबन्ध को दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।

12 कैन्टीन मालिक को काम पर रखे गये समस्त कर्मियों का पुलिस से उनके चरित्र एवं इतिहास का सत्यापन कराना होगा।

निविदा की वैधता:- यदि सेवाएं उत्तम पायी जाती हैं तो निविदा _____ तक वैध होगी।

निविदा का मूल्यांकन:- सेवा लेने वाले द्वारा निविदा का तुलनात्मक मूल्यांकन पर्याप्त निर्धारित प्रपत्रों नियम एवं शर्तों की बाध्यता को पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित विनिर्देशित (Specification) सूची की पुष्टि होने पर मूल्यांकन किया जायेगा।

सेवाओं का आपूर्ति आदेश:-

- क सेवा लेने वाले द्वारा कैन्टीन चलाने हेतु अनुबन्ध का आदेश उसी बोलीदाता को देने का निर्णय लिया जायेगा जिसकी निविदा निर्धारित प्रपत्र पर है समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करती हों एवं प्रतिमाह किराया अधिक से अधिक निविदा प्रपत्र में अंकित किया गया हो।
- ख समस्त उपरोक्त के बावजूद अधोहस्ताक्षरी को निविदा निरस्त करने व स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
- ग सफल बोलीदाता द्वारा 6 माह का किराया अग्रिम विद्यालय में जमा करना होगा।

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय

सभी निविदा दाताओं से निवेदन है कि वे अपनी निविदा निविदा बाक्स में निविदाके लिफाफे के उपर इस प्रकार लिखें विद्यालय में स्थित कैन्टीन चलाने हेतु निविदा। निविदायें दिनांक 10 फरवरी को 02 बजे दोपहर तक स्वीकार की जायेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:-

विद्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही बोलीदाताओं से निविदायें प्राप्त की जायेगी। सभी बोलीदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर होने अनिवार्य है तत्पश्चात फर्म के लेटरहैड पर संलग्न किया होना चाहिए।

संलग्न:- बेची जानी वाली वस्तुओं की सूची दरें एवं किराये हेतु।

आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला

वर्ष 2025-26 विद्यालय कैन्टीन में तैयार कर बेची जाने वाली वस्तुओं की सुची एवं दरें

क्र0स0	बेची जाने वाली वस्तु का नाम	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1	चाय (डेरी का दूध का)	120 एम0एल0	10/-	
2	लस्सी (पैकेट अमूल या ब्रांडेड)	200 ग्राम या जो भी वजन हो	As per MRP	
3	कोल्डिक	300 मि0लि0 500 मि0लि0 01 ली0 02 ली0	As per MRP	
4	बन्द (Bun)	50 ग्राम	10/-	
5	स्मोसा	50 ग्राम	10/-	
6	पकोडे मिक्स	100 ग्राम	20/-	
7	ब्रेड पकोडा 01	50 ग्राम	10/-	
8	मटठी	50 ग्राम	5/-	
9	पेस्टी (पाइन एप्पल चाकलेट)	प्रति	15/-	
10	कीम रोल	बड़े आकार का	15/-	
11	पेटीज	70 ग्राम से 80 ग्राम	15/-	
12	चाकलेट विस्कुट चिप्स टाफिज		As per MRP	

कैन्टीन में बनाकर बेची जाने वाली वस्तुएँ स्वाध्य के लिए खराब न हो डिब्बाबन्द वस्तुएँ स्वास्थ्य की मानकता को पूर्ण करती हों एवं ब्राउड कम्पनी की हो। कैन्टीन में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

घोषणा पत्र

मैं (प्रोपराइटर) मैं0 आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उपरोक्त सूची में दर्शाई गयी बनाई जाने वाली /डिब्बाबन्द वस्तुएँ दी गयी दरो बजन एवं उचित आकार की होगी एवं स्वाध्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। विद्यालय के प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगी कि यदि किसी भी प्रकार से वस्तुओं की मानकता में कोई कमी पायी जाती है तो वह तुरन्त प्रभाव से कैन्टीन की संविदा को निरस्त कर सकते हैं एवं मैं उस समय तुरन्त कैन्टीन को खाली कर दूँगा। हमारी फर्म प्रतिमाह कैन्टीन का किराया रु.....(शब्दों में) विद्यालय को देगा जिसमें कि पानी एवं विजली का खर्चा नहीं है।

फर्म मालिक के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

फर्म का पूरा पता _____

फर्म की मोहर